

निर्णय बर्डजलास डॉ०भारती दीक्षित आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला  
मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

गिराल न० 25 / प्रा०पत्र / 22

राज०सरकार  
बनाम  
राकेश बगो

प्रथम सूचना रिपोर्ट स० 39 / 2022 थाना कामखेड़ा  
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 क राजस्थान गोवशीय पशु(वध का  
प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम  
प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन  
संख्या आर जे 17 जी ए 9562

उपस्थित— श्री शिवेन्द्र भार्गव अभिभाषक पार्थी  
सहायक निदेशक अभियोजन




— निर्णय —

दिनांक: 05.05.2022

राकेश आ० लालचंद तंवर नि० मोटपुरिया थाना भालता जिला  
झालावाड़ द्वारा जयें अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा०पत्र में निवेदन  
किया गया है कि पुलिस थाना कामखेड़ा द्वारा राजस्थान गोवशीय पशु (वध का  
प्रतिशोध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9  
के जुर्म में पार्थी का एक वाहन आर जे 17 जी ए 9562 जप्त किया गया है। पार्थी  
उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन पुलिस थाना में अत्यधिक समय तक  
खड़ा रहने से पार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। पार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया  
जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया  
गया है।

प्रा०पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस  
थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से  
व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन आर जे 17 जी ए 9562 को  
अपराध अन्तर्गत धारा 5689 राजस्थान गोवशीय पशु (वध का प्रतिशोध और  
अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने  
पर जप्त किया गया है। जप्त वाहन बोलरो पिकअप आर जे 17 जी ए 9562 में 06  
गौवंश टूस टूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र  
नहीं होना होना अंकन किया गया है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक पार्थी द्वारा दौरान बहस व्यक्त किया कि  
पार्थी का एक वाहन बोलरो पिकअप आर जे 17 जी ए 9562 को पुलिस द्वारा  
दिनांक 02.03.2022 को जप्त किया गया है। पार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड  
स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की  
सुपुर्दगी पार्थी को दी जावे। पार्थी द्वारा उक्त वाहन से गोवंश का परिवहन कृषि  
कार्य हेतु किया जा रहा था प्रा०पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया  
जावे।

  
जिला कलक्टर  
झालावाड़

इस पर सरकार की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्ति किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन आर जे 17 जी ए 9562 में 06 गोवंश टूस टूस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। अतः गोवंश को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही पिकअप वाहन में टसाटस भरकर 06 गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टी करता है। राजस्थान विधान मण्डल द्वारा नवम्बर 2019 में राजगोवंश अधि 1995 में संशोधन कर नई धारा 6 'क' अन्तः स्थापित (Embedded) कर प्रवहन के साधन वाहन का अधिहरण (Confiscation) का प्रावधान गोवंश के अपराधों के हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है। पुलिस थाना कामखेड़ा द्वारा प्र.सू.रि.स. 39/2022 में जप्त वाहन बोलेरो पिकअप आर जे 17 जी ए 9562 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी क्रम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना कामखेड़ा को जप्त वाहन बोलेरो पिकअप आर जे 17 जी ए 9562 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जर्घे निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना कामखेड़ा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)  
जिला कलक्टर  
आलावाड़